

श्रीमान् वरिष्ठ न्यायालय, राजस्व मण्डल, ग्वालियर

श्री. वरुण राठी  
प्राथमिक/अभिभाषक द्वारा दिनांक 27-5-13  
को प्रस्तुत ✓

श्रीमती भगवतीबाई पति स्व. बहादुरसिंह

निवासी - 84, कुम्हार भट्टी, पालदा नाका,  
इन्दौर (म.प्र.)

380/2705-2013

.....अपीलांत

  
कवीर

विरुद्ध

श्यामलाल पिता महाराजदीन पाल

निवासी - 46/1, चितावद, इन्दौर (म.प्र.)

.....रिस्पॉन्डेंट

अपील अंतर्गत धारा 56 म. प्र. स्टॉम्प अधिनियम


अपीलांत की ओर से नम्र निवेदन है कि :-

यह कि, अपीलांत की ओर से उक्त अपील श्रीमान् कलेक्टर ऑफ  
स्टॉम्प्स जिला इन्दौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 35/बी-103/10-11/33 में  
पारित आदेश दिनांक 05.02.2011 से असंतुष्ट होकर निम्नलिखित तथ्यो  
एवं आधारो पर प्रस्तुत है :-



A 2189-PPR/13

निवेदनकर्ता/अपीलकर्ता  
श्यामलाल  
29/5/13

  
1-6-13

भगवती बर्ड | श्यामलाल

A-2189-PBR/13

15.12.2015

DD

अमेरिका की ओर लं बुका  
उपरोक्त कोई भी उपाधित नहीं।  
तीन बार पुकार लगाई गई, फिर  
भी कोई उपाधित नहीं। अतः  
प्रमाण अडम पेंकी में खातिम  
किया जाना है।

र/51



~~अवस्था~~

